प्रारंभिक परीक्षा

नारियल तेल पर कर लगाना - लम्बे समय से लंबित विवाद

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि **छोटी बोतलों में बंद नारियल तेल पर खाद्य तेल के रूप में कर लगाया जाना चाहिए (5% जीएसटी), जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से हेयर ऑयल के रूप में लेबल और विपणन न किया जाए, हेयर ऑयल पर 18% जीएसटी लगेगा।**

भारत में नारियल तेल पर कराधान -

- **पृष्ठभूमि**: विवाद इस बात पर था कि क्या 5 मिलीलीटर से 2 लीटर तक की मात्रा में पैक किए गए नारियल तेल पर **खाद्य तेल** या **हेयर ऑयल** के रूप में कर लगाया जाना चाहिए।
- **जीएसटी व्यवस्था से पहले:**
    - **CET अधिनियम, 1985 के तहत कराधान:** जीएसटी से पहले, नारियल तेल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (CET अधिनियम) के तहत कर लगाया जाता था।
    - 2005 में, CET अधिनियम ने धारा III के तहत नारियल तेल को 8% उत्पाद शुल्क के साथ "पशु या वनस्पति वसा और तेल" के रूप में वर्गीकृत किया, इसे धारा VI के तहत हेयरकेयर उत्पादों से अलग किया, जिसमें 16% उत्पाद शुल्क लगता था।
    - ये वर्गीकरण विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर (**HSN**) द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन करते हैं।

विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO)

- **यह एक अंतर सरकारी संगठन है, इसकी स्थापना 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद (CCC) के रूप में की गई थी। 1994 में इसका नाम बदल दिया गया। (मुख्यालय - ब्रुसेल्स, बेल्जियम)**
- यह दुनिया भर में 186 सीमा शुल्क प्रशासनों का प्रतिनिधित्व करता है जो विश्व व्यापार का लगभग 98% संसाधित करता है।
- **भारत 1971 में WCO में शामिल हुआ। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) WCO के लिए भारत की नोडल एजेंसी है।**
- **कार्य:**
    - सीमा शुल्क प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सरल और सुसंगत बनाना
    - सीमा शुल्क संचालन में सुधार
    - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना

हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर (HSN)

- **यह 1988 में WCO द्वारा विकसित छह अंकों का पहचान कोड है। यह दुनिया भर में वस्तुओं के व्यवस्थित वर्गीकरण में मदद करता है।**

- **जीएसटी लागू होने के बाद:**
    - नारियल तेल को खाद्य तेलों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जिस पर 5% कर लगता था।
    - "बालों पर उपयोग के लिए तैयार" श्रेणी के तहत हेयरकेयर उत्पादों पर 18% की उच्च कर दर लागू होती रही।

तथ्य

- **नारियल का तेल सूखे और कुचले हुए नारियल के एण्डोस्पर्म, जिसे खोपरा कहा जाता है, को दबाकर और कुचलकर निकाला जाता है।**
- सभी MSP फसलों में **खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सबसे अधिक है।**
- **भारत के प्रमुख नारियल उत्पादक राज्य:** (1) केरल (2) कर्नाटक (3) तमिलनाडु।
- **प्रमुख नारियल उत्पादक देश**: (1) इंडोनेशिया (2) फिलीपींस (3) भारत (4) ब्राजील

स्रोत:

- [इंडियन एक्सप्रेस - नारियल तेल पर कर]

वैज्ञानिकों ने हीरे की अति पतली फिल्म बनाने के लिए स्कॉच टेप का उपयोग कैसे किया

संदर्भ

शोधकर्ताओं ने स्कॉच टेप का उपयोग करके हीरे की अति पतली फिल्म बनाने की एक नई विधि विकसित की है, जो हीरा-आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में क्रांति ला सकती है।

विधि का आविष्कार -

- **इस विधि की खोज हांगकांग विश्वविद्यालय के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिंग जिक्सियांग ने गलती से की थी। एक प्रोजेक्ट पर काम करते समय, जिक्सियांग ने सिलिकॉन वेफर से हीरे के एक छोटे टुकड़े को छीलने के लिए स्कॉच टेप का उपयोग किया।**
- प्रारंभ में, टीम ने नैनो-आकार के हीरे को एक छोटे सिलिकॉन वेफर में प्रत्यारोपित किया और इसे उच्च तापमान पर मीथेन गैस के संपर्क में लाया, एक प्रक्रिया जिसे रासायनिक वाष्प जमाव (CVD) के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग आमतौर पर सेमीकंडक्टर के लिए पतली फिल्में बनाने के लिए किया जाता है।
- हीरे की परत निकालने के लिए, शोधकर्ताओं ने हीरे के किनारे को उजागर करने के लिए सिलिकॉन वेफर को काटा और स्कॉच टेप लगाया। टेप को छीलने से हीरे की एक पतली परत सफलतापूर्वक निकल गई।
- **ग्राफीन (कार्बन परमाणुओं की एक परत) बनाने के लिए एक समान स्कॉच टेप तकनीक का उपयोग किया गया था।**

हीरे के इलेक्ट्रॉनिक गुण

- एक **अच्छे इन्सुलेटर** के रूप में कार्य करता है।
- कुछ ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉनों को न्यूनतम प्रतिरोध के साथ चलने की अनुमति देता है।
- सिलिकॉन चिप्स की तुलना में अधिक दक्षता के साथ उच्च ऊर्जा को संभाल सकता है।

डायमंड फिल्म के गुण और लाभ

- **पतलापन और चिकनापन:** उत्पादित हीरे की फिल्में अत्यंत पतली (एक माइक्रोमीटर से भी कम) और इतनी चिकनी होती हैं कि वे मानक सूक्ष्म विनिर्माण तकनीकों का समर्थन कर सकती हैं।
- **लचीलापन:** ये फिल्में अत्यधिक लचीली हैं, जिससे इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर सहित विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में किया जा सकता है।

संभावित अनुप्रयोग:

- **क्वांटम उपकरण**: हीरे के अद्वितीय गुण इसे क्वांटम प्रौद्योगिकियों में सेंसर के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
- **उच्च-ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक्स**: दक्षता के साथ अधिक ऊर्जा भार संभालने के लिए आदर्श।
- **पावर ग्रिड:** बड़ी मात्रा में बिजली का प्रबंधन करके पावर ग्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों में क्रांति ला सकता है।

स्रोत:

- इंडियन एक्सप्रेस

किसान संगठनों ने कृषि विपणन पर केंद्र की मसौदा नीति को खारिज किया

संदर्भ

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने **कृषि विपणन में चुनौतियों का समाधान करने** तथा **एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा का मसौदा** तैयार किया है। **फैज अहमद किदवई की अध्यक्षता में गठित समिति ने इसे तैयार किया है।**

मसौदा नीति के प्रमुख प्रस्तावों के बारे में -

- **कृषि विपणन के लिए जीएसटी जैसी अधिकार प्राप्त समिति**: कृषि विपणन में सुधार लाने और राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के लिए जीएसटी पर राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की तर्ज पर राज्य कृषि मंत्रियों का एक पैनल गठित किया जाएगा।
    - **समिति की संरचना**:
        - इसकी अध्यक्षता बारी-बारी से राज्य के कृषि मंत्री द्वारा की जाती है।
        - अन्य राज्यों के कृषि मंत्री सदस्य के रूप में।
        - सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत।
- **एकीकृत बाजार की आवश्यकता**: राज्यों में निर्बाध व्यापार के साथ एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाना। एकल लाइसेंसिंग/पंजीकरण और समान बाजार शुल्क के माध्यम से कृषि विपणन को भी सरल बनाना।
    - **वर्तमान चुनौतियाँ**:
        - राज्यों द्वारा बनाए गए एपीएमसी अधिनियमों के कारण बाजारों का विखंडन।
        - मॉडल एपीएमसी अधिनियम, 2003 जैसे पहले के सुधारों को अपनाने का प्रतिरोध।
- **मूल्य बीमा योजना**: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की तर्ज पर मूल्य बीमा योजना शुरू करने का प्रस्ताव।
    - **उद्देश्य**: मूल्य में भारी गिरावट या एक सीमा से नीचे गिरने से किसानों का संरक्षण।
    - **PMFBY's का ढाँचा**:
        - बीमा के माध्यम से उत्पादन जोखिम को कवर करता है।
        - किसान की आय को स्थिर करता है।
        - आधुनिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करता है।
        - कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करता है।
- **अन्य सुधार**:
    - बुनियादी ढांचे और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए निजी निवेश हेतु कृषि बाजारों को खोलना।
    - किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और प्रत्यक्ष किसान-से-उपभोक्ता बिक्री चैनलों का संवर्धन।
    - फसल-उपरांत नुकसान को कम करने और बाजार पहुंच में सुधार के लिए कृषि प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन बुनियादी ढांचे पर जोर।

किसान इस नीति का विरोध क्यों कर रहे हैं?

- किसानों को भय है कि निजी कर्ताओं के लिए बाज़ार खोलने से बड़ी कंपनियों की एकाधिकारवादी नीतियाँ बन सकती हैं।
- किसानों को गोदामों और कोल्ड स्टोरेज जैसी निजी भंडारण सुविधाओं पर निर्भरता का भय है, जिससे लागत अधिक हो सकती है और छोटे किसानों के लिए इनकी पहुंच सीमित हो सकती है।
- यद्यपि मसौदा किसानों को मूल्य गिरावट से बचाने के लिए मूल्य बीमा योजना का सुझाव देता है, परन्तु इसके कार्यान्वयन और प्रभावशीलता के बारे में जानकारी अस्पष्ट हैं।

संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 28 के अंतर्गत कृषि विपणन एक राज्य विषय है।

स्रोत:

- द हिंदू - किसान संगठनों ने कृषि विपणन पर केंद्र की मसौदा नीति को खारिज किया

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

संदर्भ

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में PVTG छात्रों के लिए 5% उप-कोटा पूरा करने में चुनौतियाँ आ रही हैं।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के बारे में -

- **EMRS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 1997-98 में दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।**
- **EMRS** भारत के **संविधान के अनुच्छेद 275(1)** के तहत प्राप्त **अनुदान से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं।**
- **विशेषताएँ**:
    - स्कूल न केवल शैक्षणिक शिक्षा पर बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
    - प्रत्येक स्कूल की क्षमता 480 छात्रों की है, जो कक्षा VI से XII तक के छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है।
    - इन स्कूलों में कुल सीटों की 10% तक सीटों पर गैर-एसटी छात्रों को प्रवेश दिया जा सकता है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, **राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी** (**NESTS**) पूरे भारत में EMRS का प्रबंधन करता है।
- **स्थापना के लिए मानदंड**: 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक EMRS होगा।

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs)

- **ढेबर आयोग (1960-61):** इसने अनुसूचित जनजातियों के बीच असमानताओं की पहचान की, जिसके परिणामस्वरूप आदिम जनजातीय समूह (PTG) श्रेणी का निर्माण हुआ।
- **2006 में, PTG श्रेणी का नाम बदलकर PVTG कर दिया गया, (PVTG के लिए मानदंड)**
    - कृषि-पूर्व जीवनशैली
    - निम्न साक्षरता दर
    - छोटी या स्थिर आबादी
    - निर्वाह अर्थव्यवस्थाएँ।
- **18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 75 समुदायों को PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है।**
- ओडिशा में **PVTGs** की संख्या सबसे अधिक **(15)** है।

EMRS में PVTG उप-कोटा

- **2020 में, शिक्षा तक उनकी पहुँच बढ़ाने के लिए PVTG के लिए 5% उप-कोटा पेश किया गया था।**
- **वर्तमान नामांकन डेटा**:
    - **कुल EMRS छात्र**: 1,30,101 (अक्टूबर 2024 तक 407 संचालित स्कूलों में)।
    - **PVTG छात्र:** 4,480 छात्र, जो कुल जनसंख्या का केवल 3.4% है, जो 5% लक्ष्य से कम है।
    - PVTG छात्रों के बीच ड्रॉपआउट में पिछले 3 वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है।
- **कम नामांकन और ड्रॉपआउट के कारण**:
    - **बुनियादी ढांचे में अंतराल**: कई स्कूलों में खराब सुविधाएँ।
    - **शिक्षकों की कमी:** पर्याप्त और योग्य शिक्षण कर्मचारियों की कमी।

- **आर्थिक दबाव**: कई PVTG छात्र अपने परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए काम करने को विवश हैं।
- **शिक्षा की गुणवत्ता**: घटिया शिक्षा और अपर्याप्त संसाधनों की धारणा।

यूपीएससी विगत वर्षों के प्रश्न

प्रश्न . भारत में विशिष्टः असुरक्षित जनजातीय समूहों [विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG)] के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (2019)

1. PVTG देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्यक्षेत्र में निवास करते हैं।
2. स्थिर या कम होती जनसंख्या, PVTG स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है।
3. देश में अब तक 95 PVTG आधिकारिक रूप से अधिसूचित है।
4. PVTG की सूची में ईरुलार और कोड्डा रेड्डी जनजातियाँ शामिल की गई हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) 1, 2 और 3
(b) 2, 3 और 4
(c) 1, 2 और 4
(d) 1, 3 और 4

उत्तर: C

स्रोत:

- **द हिंदू - एकलव्य स्कूलों को 5% PVTG उप-कोटा पूरा करने में कठिनाई; स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में वृद्धि**

भारत निर्मित सौर फोटोवोल्टिक (PV) सेल

संदर्भ

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने सरकारी खरीद कार्यक्रमों में भाग लेने की इच्छा रखने वाली सभी सौर ऊर्जा कंपनियों के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है, जिसके अंतर्गत उन्हें अपने पैनलों में भारत निर्मित सौर फोटोवोल्टिक (PV) सेल का उपयोग करना होगा।

आदेश के मुख्य बिंदु -

- **अपनाए जाने की अंतिम तिथि:** जून 2026 तक, सौर ऊर्जा कम्पनियों को सरकारी खरीद योजनाओं के लिए पात्र होने हेतु, घरेलू स्तर पर उत्पादित सौर सेल का उपयोग करना होगा।
    - वर्तमान में, भारतीय सौर ऊर्जा कंपनियां मुख्य रूप से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से आयातित सौर सेल पर निर्भर हैं।
- **ALMM सूची-II:** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (**MNRE**) **1** जून, **2026** से प्रभावी मॉड्यूल निर्माताओं (**ALMM**) की अनुमोदित सूची के अंतर्गत सौर **PV** सेल की सूची-**II** जारी करेगा। इस सूची में केवल वे कंपनियां शामिल होंगी, जो भारत में सौर सेल का निर्माण करती हैं।

मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची (ALMM)

- **यह सौर पैनल मॉडल और निर्माताओं की एक सूची है, जो भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रमाणित है तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा अनुमोदित है।**
- यह सरकार प्रायोजित परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले सौर पैनलों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है।

फोटोवोल्टिक सेल के संदर्भ में -

- **फोटोवोल्टिक (PV) सेल, जिन्हें सौर सेल भी कहा जाता है, सौर पैनलों के मूलभूत निर्माण खंड हैं, जो सूर्य के प्रकाश को विद्युत् में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी हैं।**
- **फोटोवोल्टिक सेल के प्रमुख घटक:**
    - **सेमीकंडक्टर परत:** प्राथमिक सामग्री, जो प्रायः सिलिकॉन होती है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है और विद्युत आवेश उत्पन्न करती है।
    - **इलेक्ट्रोड:** ये सेमीकंडक्टर सामग्री द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को एकत्रित करते हैं।
    - **ग्लास/सुरक्षात्मक परत:** यह सूर्य के प्रकाश को गुजरने की अनुमति देते हुए, **PV** सेल को पर्यावरणीय क्षति से बचाता है।
- **फोटोवोल्टिक सेल के प्रकार:**
    - **मोनोक्रिस्टलाइन सौर सेल:** एकल क्रिस्टल संरचना द्वारा निर्मित, जो उच्च दक्षता के लिए जाना जाता है।
    - **पॉलीक्रिस्टलाइन सौर सेल:** ये सिलिकॉन क्रिस्टल से बने होते हैं, जिन्हें पिघलाकर सांचों में डाला जाता है, जो मोनोक्रिस्टलाइन सेल की तुलना में कम कुशल होते हैं।
    - **थिन-फिल्म सौर सेल:** यह एक सब्सट्रेट पर फोटोवोल्टिक सामग्री की पतली परतों को जमा करके बनाए गए होते हैं, ये लचीले होते हैं किन्तु कम कुशल होते हैं।

भारत फोटोवोल्टिक सेल्स के लिए आयात पर क्यों निर्भर है?

- **कच्चे माल के घरेलू विनिर्माण का अभाव:**

- फोटोवोल्टिक सेल के लिए आवश्यक मुख्य घटकों का उत्पादन करने की भारत की घरेलू क्षमता सीमित है।
- उदाहरण के लिए- वेफ़र (**PV** सेल में उपयोग किए जाने वाले) और इनगट/इंगोट (सिलिकॉन का एक कच्चा रूप) जैसी सामग्री, भारत के भीतर पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं होती हैं।

- **आयातित सेल की लागत-प्रतिस्पर्धात्मकता:**
  - चीन जैसे देशों से आयातित सौर सेल, कम उत्पादन लागत के कारण अधिक लागत प्रभावी होते हैं।
  - घरेलू रूप से उत्पादित सौर सेल की लागत, मूल सीमा शुल्क पर विचार करने के बाद भी आयातित सेल की तुलना में लगभग **1.5** से **2** गुना अधिक है।
- **उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों का अभाव:**
  - भारत में प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उच्च दक्षता वाली फोटोवोल्टिक सेल के निर्माण के लिए आवश्यक उन्नत तकनीकों एवं विशेष उत्पादन सुविधाओं का अभाव है।
- **नीति और निवेश अंतराल:**
  - यद्यपि भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम कुसुम योजना और आत्मनिर्भर भारत पहल जैसी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं प्रारंभ की हैं, तथापि यह घरेलू विनिर्माण क्षेत्र मांग को पूरा करने के लिए तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया है।

भारत में सौर ऊर्जा विनिर्माण क्षमता:

- **स्थापित सौर क्षमता:** अब तक, भारत ने **92** गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है।
- **विनिर्माण क्षमता:** भारत की सौर-मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता **63** गीगावॉट है, जबकि सौर-सेल विनिर्माण क्षमता लगभग **5.8** गीगावॉट है।
- **भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र:** भड़ला सौर संयंत्र (राजस्थान) - **2,245** मेगावाट।

स्रोत:

- द हिंदू - केंद्र ने सौर ऊर्जा कंपनियों के लिए भारत निर्मित सौर सेल अपनाने की समय सीमा जून 2026 तय की

समाचार संक्षेप में

नेवर इवेंट्स (Never Events)

- **गंभीर, रोके जा सकने वाली घटनाएं जो स्वास्थ्य देखभाल में कभी नहीं होनी चाहिए यदि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।**
- **उत्पत्ति**: यह शब्द **2002** में अमेरिका में **राष्ट्रीय गुणवत्ता फोरम (एनक्यूएफ) द्वारा प्रस्तुत किया गया था**
- **उदाहरणार्थ** गलत स्थान पर सर्जरी, इंसुलिन का ओवरडोज, बेमेल रक्त आधान आदि।

भारतीय संदर्भ

- भारत में "नेवर इवेंट्स या कभी न होने वाली घटनाएँ" शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ मुख्य ध्यान चिकित्सा लापरवाही पर है।
- **भारत बोलम परीक्षण का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करता है कि क्या किसी चिकित्सा पेशेवर का कार्य लापरवाहीपूर्ण था।**
- **बोलम परीक्षण** एक सहकर्मी समीक्षा है जो एक चिकित्सा पेशेवर के कार्यों की तुलना उसी क्षेत्र के अन्य योग्य पेशेवरों के कार्यों से करता है।
- **भारत ने यूनाइटेड किंगडम से बोलम परीक्षण को अपनाया है।**

स्रोत:

- द हिंदू – नेवर इवेंट्स: रोगी सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करने में अस्वीकार्य विफलताएँ

वजन घटाने के लिए लोकप्रिय दवाओं को डब्ल्यूएचओ वैज्ञानिकों ने समर्थन दिया

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मोटापे के प्रबंधन के लिए दवाओं के एक नए वर्ग के रूप में **GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट** का समर्थन किया है।
- **ग्लूकागन-जैसे पेप्टाइड-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट (GLP-1RAs) दवाओं का एक वर्ग है जो टाइप 2 मधुमेह और मोटापे का इलाज करता है।**
    - वे इस प्रकार काम करते हैं: इंसुलिन स्राव को बढ़ाना, पेट को खाली करने की प्रक्रिया को धीमा करना और कैलोरी का सेवन कम करना।
- GLP-1 रिसेप्टर एक प्रोटीन है जो मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर, इंसुलिन स्राव और अन्य शारीरिक कार्यों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **मोटापे के आँकड़े:**
    - वैश्विक स्तर पर 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है। 890 मिलियन वयस्क और 160 मिलियन किशोर इससे प्रभावित हैं।
    - अमेरिका और चीन के बाद भारत मोटापे के मामले में तीसरे स्थान पर है।
    - भारत में 44 मिलियन महिलाएँ और 26 मिलियन पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं।

स्रोत:

- इंडियन एक्सप्रेस - डब्ल्यूएचओ के वैज्ञानिकों ने मोटापे को नियंत्रित करने के लिए वजन घटाने वाली दवाओं का समर्थन किया

मंदिर उत्सवों में हाथियों की परेड पर केरल उच्च न्यायालय के निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

- हाल ही में दिए गए एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर उत्सवों में हाथियों की परेड संबंधी केरल उच्च न्यायालय के निर्देशों पर रोक लगा दी है।
- केरल उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि त्रिशूर पूरम उत्सव के दौरान अधिकतम 10 हाथी भाग ले सकते हैं तथा जुलूस में उनके बीच न्यूनतम तीन मीटर की दूरी रखी जानी चाहिए।
- **त्रिशूर पूरम:**
    - यह केरल के त्रिशूर में मनाया जाने वाला एक हिंदू मंदिर उत्सव है। यह एशिया के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है।
    - विभिन्न मंदिर अपने हाथियों और पारंपरिक ऑर्केस्ट्रा के साथ आते हैं। हाथियों को फूलों, सोने, घंटियों और आभूषणों से सजाया जाता है।
    - **सजे-धजे हाथी:** पारंपरिक स्वर्ण आभूषणों (नेट्टीपट्टम) से सजे हाथियों की परेड इस त्योहार का प्रमुख आकर्षण है।

स्रोत:

- द हिन्दू

दिल्ली में वृक्ष संरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्देश

- **अनिवार्य वृक्ष गणना: वृक्ष प्राधिकरण को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 7(b) के** अंतर्गत दिल्ली में विद्यमान वृक्षों की गणना करनी होगी।
- **वित्तपोषण:** केंद्र सरकार प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) के माध्यम से जनगणना का वित्तपोषण करेगी।
- 50 या अधिक पेड़ों को गिराने के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की मंजूरी अनिवार्य।
    - किसी वृक्ष अधिकारी द्वारा 50 या अधिक पेड़ों को गिराने की दी गई अनुमति को पहले CEC द्वारा जांचा और अनुमोदित किया जाना चाहिए।
    - CEC वृक्ष अधिकारी के आदेश को अस्वीकार, संशोधित या अनुमोदित कर सकता है।
    - CEC द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने तक कोई भी पेड़ नहीं काटा जा सकता

स्रोत:

- द हिंदू - सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की गणना का आदेश दिया, पेड़ों को काटने की अनुमति देने के लिए वृक्ष अधिकारियों के अधिकार में कटौती की

संपादकीय सारांश

मानवता के विरुद्ध अपराध (CAH संधि)

संदर्भ

4 दिसंबर, 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने मानवता के विरुद्ध अपराधों (CAH) को रोकने और दंडित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित संधि के पाठ को मंजूरी देते हुए एक प्रस्ताव अपनाया।

पृष्ठभूमि

- CAH को पहली बार 1945 के लंदन चार्टर में संहिताबद्ध किया गया था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए गए अत्याचारों पर मुकदमा चलाने के लिए नूर्नबर्ग ट्रिब्यूनल की स्थापना की थी।
- पूर्व यूगोस्लाविया और रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरणों के क़ानूनों में आगे इसका उल्लेख किया गया है।

समर्पित CAH संधि के कारण

- **क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाएं**: ICC का क्षेत्राधिकार केवल सदस्य राज्यों तक ही सीमित है, तथा गैर-सदस्य राज्यों में कार्रवाई सीमित है।
- **राज्य की जवाबदेही**: रोम संविधि के विपरीत, CAH संधि, नरसंहार सम्मेलन के समान, CAH को रोकने में विफल रहने पर राज्यों को जवाबदेह ठहरा सकती है।
    - **उदाहरण**: गाम्बिया ने रोहिंग्या आबादी के विरुद्ध उल्लंघन के लिए नरसंहार कन्वेंशन के अंतर्गत आईसीजे में म्यांमार के विरुद्ध मामला दायर किया।
- **विस्तारित दायरा**: इसमें नए अधिनियमों को शामिल करने की संभावना है जैसे:
    - नागरिक आबादी का भुखमरी से मरना।
    - लिंगभेद और जबरन गर्भधारण।
    - परमाणु हथियारों का प्रयोग एवं आतंकवाद।
    - प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और स्वदेशी आबादी के विरुद्ध अपराध।

मानवता के विरुद्ध अपराधों(CAH) के लिए जवाबदेही में अंतर

- **सीमित शासन ढांचा:** नरसंहार (नरसंहार सम्मेलन, 1948 द्वारा शासित) और युद्ध अपराधों (जिनेवा सम्मेलनों, 1949 द्वारा कवर) के विपरीत, CAH में एक समर्पित संधि का अभाव है।
    - वर्तमान में, CAH को केवल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के रोम संविधि के तहत ही संबोधित किया जाता है।
    - रोम संविधि में CAH को हत्या, विनाश, दासता, निर्वासन, यातना, कारावास और बलात्कार जैसे कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है, जब ये हमले की जानकारी रखने वाले नागरिकों के विरुद्ध व्यापक या व्यवस्थित हमले के भाग के रूप में किए जाते हैं।

CAH संधि पर भारत का रुख

- **गैर-पक्षकार का दर्जा**: भारत रोम संविधि का पक्षकार नहीं है और उसने अभियोजन शक्तियों और युद्ध अपराध परिभाषाओं से परमाणु हथियार के प्रयोग को बाहर रखने जैसे मुद्दों पर ICC के अधिकार क्षेत्र के बारे में चिंता जताई है।
- **CAH की परिभाषा:** भारत का तर्क है कि केवल सशस्त्र संघर्षों के दौरान किए गए अपराध ही CAH के रूप में योग्य होने चाहिए तथा वह इस ढांचे के अंतर्गत जबरन गायब कर दिए जाने को अपराध के रूप में शामिल करने का विरोध करता है।

  - इसके बजाय, यह आतंकवाद को CAH के रूप में मान्यता दिए जाने की वकालत करता है।
- **घरेलू कानून का अभाव:** भारत में CAH या नरसंहार जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट घरेलू कानून नहीं है।
  - **न्यायिक अवलोकन (2018)**: न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर (दिल्ली उच्च न्यायालय) ने राज्य बनाम सज्जन कुमार मामले में ऐसे कानूनों की अनुपस्थिति को एक महत्वपूर्ण अंतर के रूप में उजागर किया।
  - भारतीय आपराधिक कानूनों में हाल ही में किए गए संशोधन CAH और नरसंहार को शामिल करने में विफल रहे।

भारत की संभावित भूमिका:
- घरेलू कानून में CAH को शामिल करना भारत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर जोर देने के अनुरूप है।
- मानवाधिकार उल्लंघन के लिए दंड से मुक्ति के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करने से भारत की 'विश्वगुरु' बनने की आकांक्षा को बल मिलेगा।

स्रोत: **द हिंदू: मानवता के खिलाफ अपराध और भारत का उदासीन रुख**

विस्तृत कवरेज

भारत रूस संबंध

संदर्भ

- 2025 में विदेश नीति के रुझान महाशक्तियों के बीच उभरते संबंधों से काफी प्रभावित होंगे, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में नए अमेरिकी प्रशासन के संदर्भ में।
- यह बदलाव यूरोप में पारंपरिक गठबंधनों को बाधित कर सकता है और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है।
- वैश्विक संतुलन बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए भारत महत्वपूर्ण होगा और 2025 में भारत-रूस संबंध सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध होंगे।

भारत रूस संबंधों का कालक्रम -

भारत-रूस संबंधों का महत्व

- **सामरिक उच्च तकनीक सहयोग:** रूस उन्नत तकनीकी आपूर्ति के लिए, विशेष रूप से रक्षा और सामरिक प्रणालियों के क्षेत्र में, भारत का सबसे विश्वसनीय साझेदार बना हुआ है।
    - फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी देश दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी (जिसका नागरिक और सैन्य दोनों तरह से उपयोग हो सकता है) पर प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील दे रहे हैं, फिर भी वे कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर सीमाएं लगा रहे हैं।
    - पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का अर्थ यह है कि भारत अपने समुद्री युद्ध और लंबी दूरी की हथियार प्रणालियों के लिए पश्चिमी देशों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकता।

  - यहीं पर रूस बिना किसी सीमा के आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - **उदाहरण**: भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल **ब्रह्मोस इस सहयोग का उदाहरण है।**
- **ऊर्जा व्यापार और मूल्य स्थिरता**: जीवाश्म ईंधन (तेल और गैस) में रूस के साथ भारत का व्यापार वैश्विक ऊर्जा मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करता है।
  - यद्यपि यूक्रेन में रूस की गतिविधियों के कारण उसके मुनाफे पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं, फिर भी भारत यह सुनिश्चित करता है कि रूस के साथ उसका व्यापार इन प्रतिबंधों के अनुरूप हो।
- **भू-राजनीतिक संतुलन: रूस-चीन गतिशीलता:** भारत रूस को चीन पर अत्यधिक निर्भर होने से रोकने में मदद करता है। यदि रूस को चीन के अधीन रहने के लिए मजबूर किया जाता है तो वैश्विक शक्ति संतुलन अस्थिर हो जाएगा और पश्चिमी हितों के लिए हानिकारक होगा।

सहयोग के क्षेत्र

- **राजनीतिक सहयोग:** दोनों देश कई बहुपक्षीय मंचों जैसे शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स और कनेक्टिविटी परियोजनाओं जैसे INSTC (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा) आदि का हिस्सा हैं।
  - रूस ने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) और एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) में शामिल होने का समर्थन किया है।
  - रूस कश्मीर मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन करता है।
  - जुलाई 2024 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "भारत-रूस संबंधों को बढ़ावा देने में उनके योगदान" के लिए रूस के सर्वोच्च राजकीय सम्मान, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया।
- **आर्थिक सहयोग:** भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2023-24 में 65.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।
  - भारत और रूस ने 2000 में एक रणनीतिक साझेदारी घोषणा की स्थापना की, जिसे 2010 में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया।
  - दोनों देशों का लक्ष्य 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा द्विपक्षीय व्यापार को 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है।
  - भारत-रूस दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीएए) 1996 से प्रभावी है, जिसका उद्देश्य दोहरे कराधान को समाप्त करना तथा राजकोषीय चोरी को कम करना है।
- **रक्षा सहयोग:** भारत के साथ सैन्य-तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में रूस प्रथम स्थान पर है।
  - हालाँकि, हाल के वर्षों में रूसी हथियार निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2014-2018 में 58% से घटकर 2019-2023 में 34% हो गई है।
  - भारत ने रूस से S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली जैसे विभिन्न सैन्य उपकरण खरीदे।
  - मेक इन इंडिया पहल के तहत कामोव 226 हेलीकॉप्टर, टी-90 एस टैंक का संयुक्त रूप से निर्माण किया जाएगा।
  - दोनों देशों ने संयुक्त रूप से कई रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास किया है: ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुखोई एसयू-30 लड़ाकू विमान, पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान (एफजीएफए) और अकुला श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी।
  - दिसंबर 2021 में भारत-रूस 2+2 वार्ता के दौरान सैन्य तकनीकी सहयोग समझौते (2021-2031) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
    - यह समझौता रक्षा सहयोग के लिए एक दशक लम्बी रूपरेखा की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें सैन्य उपकरणों, घटकों और स्पेयर पार्ट्स का संयुक्त विकास और उत्पादन शामिल है।

- **द्विपक्षीय अभ्यास:** अभ्यास इंद्र, भारत और रूस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों में भी भाग लेते हैं, जैसे वोस्तोक 2022।

- **बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी परियोजनाएं:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी):** इस बहुविध नेटवर्क का उद्देश्य ईरान और मध्य एशिया के माध्यम से मुंबई को मास्को से जोड़ना है, जिससे परिवहन समय कम होगा और व्यापार दक्षता बढ़ेगी।
  - **चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा:** इस प्रस्तावित मार्ग का उद्देश्य चेन्नई (भारत) और व्लादिवोस्तोक (रूस) बंदरगाहों को जोड़ना है, जिससे समुद्री व्यापार और ऊर्जा परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
- **ऊर्जा सहयोग:** फरवरी 2024 में, भारत और रूस ने तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में छह असैन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते को उन्नत किया।
  - **भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है।**
  - हाल ही में, रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट और भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्रतिदिन 500,000 बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए 10 साल का समझौता किया, जिसका मूल्य लगभग 13 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष है।

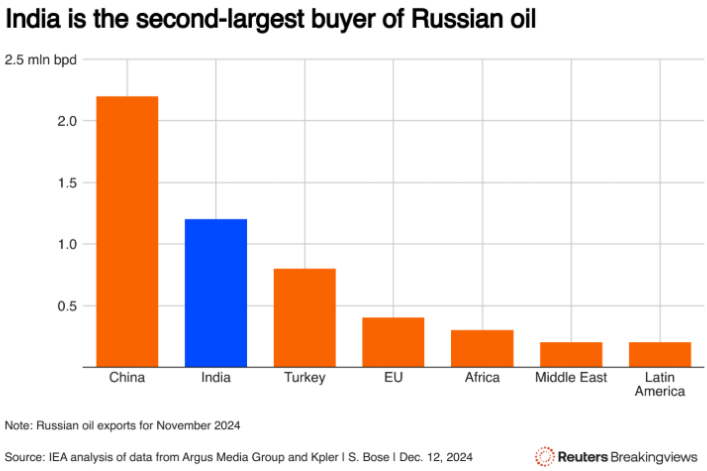

वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत के प्रयास

- **रूस और पश्चिम के बीच सेतु**: भारत रूस और अन्यथा अलग-थलग पड़े पश्चिमी पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक सेतु का काम करता है।
  - अपनी बहुपक्षीय प्रतिबद्धता के माध्यम से भारत रूस को वैश्विक प्रणाली से जोड़ता है तथा भू-राजनीतिक विभाजनों के पार कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है।
- **आर्कटिक में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा**: आर्कटिक प्राकृतिक संसाधनों, शिपिंग मार्गों और रणनीतिक हितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।
  - भारत की भागीदारी के बिना, एक मजबूत रूस-चीन गठबंधन इस क्षेत्र पर हावी हो सकता है।
  - यूरोपीय और नॉर्डिक देशों के साथ साझेदारी द्वारा समर्थित आर्कटिक में भारत की बढ़ती उपस्थिति, इस संभावित प्रभुत्व को संतुलित करने में मदद करती है।
  - **उदाहरण**: प्रस्तावित चेन्नई-व्लादिवोस्तोक गलियारा भारत और रूस को जोड़ने वाला एक समुद्री व्यापार मार्ग है।
- **बहुपक्षीय समूहों में समन्वय:** भारत ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) जैसे बहुपक्षीय संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।
  - भारत यह सुनिश्चित करता है कि इन मंचों का उपयोग पश्चिम के विरुद्ध न किया जाए ।
  - विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण गैर-पश्चिमी है , लेकिन पश्चिम विरोधी नहीं है। वे पश्चिमी नेतृत्व वाली प्रणालियों के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं।

चुनौतियाँ क्या हैं?

- **चीन के साथ रूस के घनिष्ठ संबंध:** चीन के साथ रूस की साझेदारी गहरी हो रही है, विशेष रूप से बढ़ते चीन-भारत तनाव के बीच।
- **यूक्रेन संघर्ष का प्रभाव:** यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के कारण भारत को महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों, विशेष रूप से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली और लड़ाकू विमानों के लिए स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी में देरी हुई है।
    - यह स्थिति भारत की रक्षा तैयारियों और रूसी सैन्य हार्डवेयर में विश्वास को कमजोर करती है।
- **आर्थिक असंतुलन**: द्विपक्षीय व्यापार संबंध में महत्वपूर्ण असंतुलन है, तथा भारत को पर्याप्त व्यापार घाटा का सामना करना पड़ रहा है।
    - वित्त वर्ष 2023-24 में, रूस को भारत का निर्यात 4.3 बिलियन डॉलर का था, जबकि आयात 61.44 बिलियन डॉलर था, जिसका मुख्य कारण ऊर्जा आयात में वृद्धि थी।
- **पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं की ओर झुकाव:** पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते संबंधों सहित रक्षा खरीद में विविधता लाने के भारत के प्रयासों से रूस के साथ पारंपरिक रक्षा संबंध प्रभावित हो सकते हैं।
    - यह बदलाव उन्नत प्रौद्योगिकी और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता से प्रभावित है।

आगे की राह

- **रक्षा खरीद में विविधता लाना:** पश्चिमी देशों से रक्षा खरीद बढ़ाकर तथा मेक इन इंडिया पहल के तहत घरेलू उत्पादन को मजबूत करके रूसी सैन्य हार्डवेयर पर निर्भरता कम करना।
- **व्यापार असंतुलन को दूर करना:** फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और आईटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रूस को भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना, तथा घाटे को प्रबंधित करने के लिए अनुकूल व्यापार समझौतों और वैकल्पिक भुगतान तंत्रों पर बातचीत करना।
- **ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना:** संतुलित और टिकाऊ ऊर्जा संबंध बनाने के लिए दीर्घकालिक सौदे सुनिश्चित करके और नवीकरणीय ऊर्जा में साझेदारी की संभावनाओं की खोज करके एक प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस की भूमिका का लाभ उठाना।
- **बहुपक्षीय कूटनीति को बढ़ावा देना:** पश्चिमी सहयोगियों के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए और चीन-रूस संबंधों को संतुलित करते हुए रूस के साथ रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) जैसे मंचों का उपयोग करना।
- **रणनीतिक लचीलापन निर्मित करना:** महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन के लिए स्थानीय सुविधाएं स्थापित करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करना, तथा देरी और आपूर्ति श्रृंखला कमजोरियों को कम करने के लिए स्वदेशी विकास में तेजी लाना।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस: द ब्रिज टू मॉस्को

मूल्य संवर्धन(Value Addition)

क्या भारत में विधानमंडलों का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए?

संदर्भ

संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024, जो लोकसभा के लिए पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल प्रस्तावित करता है और राज्य विधानमंडल चुनावों को इस चक्र के साथ जोड़ता है, के इर्द-गिर्द चल रही बहस भारत में निश्चित विधायी कार्यकाल के पक्ष में और विपक्ष में विभिन्न तर्क प्रस्तुत करती है।

निश्चित विधायी कार्यकाल के पक्ष में तर्क

- **चुनावी व्यवधानों में कमी:** निश्चित कार्यकाल और एक साथ चुनाव कराने से बार-बार होने वाले चुनाव चक्रों में कमी आ सकती है, जिससे सरकारें निरंतर चुनाव प्रचार के बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी।
    - **उदाहरण**: विभिन्न स्तरों पर बार-बार होने वाले चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण नीति-निर्माण में अक्सर बाधा उत्पन्न होती है।
- **कम चुनावी लागत:** एक समान चुनाव कार्यक्रम से चुनाव आयोग और राज्य मशीनरी द्वारा किए जाने वाले व्यय में कमी आ सकती है।
- **राजनीतिक स्थिरता:** निश्चित कार्यकाल स्थिरता प्रदान कर सकता है, क्योंकि सरकारों का कार्यकाल पूर्व निर्धारित होगा, तथा दलबदल, त्यागपत्र या खरीद-फरोख्त जैसी प्रथाओं को रोका जा सकता है, क्योंकि मध्यावधि चुनावों के परिणामस्वरूप विधायी कार्यकाल छोटा हो जाएगा।
    - **वैश्विक उदाहरण:** अमेरिका और जर्मनी जैसी प्रणालियाँ राजनीतिक निरंतरता प्रदान करने और बार-बार होने वाले व्यवधानों को कम करने में निश्चित कार्यकाल के संभावित लाभों को प्रदर्शित करती हैं।
- **कार्यकाल के दौरान जवाबदेही:** निश्चित कार्यकाल निर्वाचित प्रतिनिधियों को शासन पर ध्यान केंद्रित करने और अपने सीमित कार्यकाल के दौरान परिणाम देने के लिए बाध्य कर सकता है, जिससे जवाबदेही बढ़ सकती है।

निश्चित विधायी कार्यकाल के विरुद्ध तर्क

- **संघवाद के लिए खतरा:** राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को संसद के साथ जोड़ना राज्य विधानसभाओं की स्वायत्तता को कमजोर करता है, तथा भारत के संघीय ढांचे का उल्लंघन करता है।
    - **उदाहरण**: लोकसभा चुनावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग करने से राज्य स्तरीय निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है।
- **लचीलेपन के ऐतिहासिक उदाहरण:** भारत की वर्तमान प्रणाली राजनीतिक संकटों को हल करने या नया जनादेश प्राप्त करने के लिए विधानमंडल को भंग करने की अनुमति देती है।
    - निश्चित कार्यकाल से यह लचीलापन समाप्त हो सकता है, जिससे सरकारें ऐसी स्थिति में फंस जाएंगी जहां वे प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकेंगी।
- **संदिग्ध लागत बचत:** यह दावा सही नहीं हो सकता कि एक साथ चुनाव कराने से लागत कम हो जाती है, क्योंकि चुनाव खर्च का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है, न कि राज्य मशीनरी द्वारा।
- **संभावित नीतिगत पक्षाघात:** निश्चित कार्यकाल से नीतिगत पक्षाघात हो सकता है, विशेष रूप से यदि सरकार बहुमत का समर्थन खो देती है, लेकिन निश्चित कार्यकाल के कारण उसे प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।
    - **उदाहरण**: ब्रिटेन के निश्चित अवधि संसद अधिनियम (2011-2022) को संवैधानिक संकट उत्पन्न करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा।

- **मतदाता व्यवहार और संघीय प्रतिनिधित्व:** ऐसी चिंता है कि एक साथ चुनाव कराने से मतदाता राज्य और केंद्रीय दोनों चुनावों में एक ही पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रभावित हो सकते हैं, जिससे राजनीतिक बहुलता को नुकसान पहुंच सकता है।
    - **प्रति-उदाहरण**: दिल्ली के 2014 के चुनाव, जहां मतदाताओं ने केन्द्र और राज्य के चुनावों के बीच अंतर किया, यह दर्शाता है कि मतदाता स्वतंत्र चुनाव करने में सक्षम हैं।
- **कार्यकाल कम होने की संभावना:** निश्चित कार्यकाल के कारण मध्यावधि चुनावों के बाद नव निर्वाचित सरकारों का कार्यकाल छोटा हो सकता है, जिससे दीर्घकालिक नीतियों को क्रियान्वित करने की उनकी क्षमता सीमित हो सकती है।

स्रोत: **द हिंदू: क्या भारत में विधानसभाओं का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए?**